

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार



श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार



हरि सहनी
माननीय मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार



श्री विजय कुमार सिन्हा
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

उपलब्धि 2024-25

कार्यक्रम 2025-26

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग



माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सहरसा का उद्घाटन



माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, नालंदा का उद्घाटन



पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बिहार सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

उपलब्धि 2024-25

कार्यक्रम 2025-26



बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

हरि सहनी
माननीय मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार



संदेश

राज्य सरकार द्वारा राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2007-08 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या-1697, दिनांक-02.10.2021 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1698, दिनांक-02.10.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ग के सभी छात्र/छात्राओं को विद्यालय से जोड़ने एवं इनकी प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-1 से X तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-1 से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को आच्छादित करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" की स्वीकृति तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत अब तक राशि ₹0 87500.00 लाख (₹0 आठ सौ पचहत्तर करोड़) मात्र स्वीकृत की गयी है।

उच्च शिक्षा (कक्षा 10वीं से ऊपर) के क्षेत्र में इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इससे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कानून एवं अन्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने का अवसर मिलेगा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 से छात्रवृत्ति की राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विशेषकर व्यवसायिक कोर्सों हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या-673 दिनांक-23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित

सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल राशि ₹0 22678.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 से अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 से पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रारंभ की गयी हैं। मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को एकमुश्त ₹10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की वृत्तिका दी जाती है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र तक के छात्रों को भी मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना की तरह ही एकमुश्त ₹10,000/- की वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य स्कीम के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना शुरू की गयी, जिसके अन्तर्गत प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करायी जाती है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत वार्षिक आय अधिसीमा को ₹0 1.00 लाख से बढ़ाकर ₹0 3.00 लाख किया गया है एवं वर्तमान में राज्य में सभी 38 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रति केन्द्र ₹0 2.50 लाख की दर से सभी केन्द्रों में डिजिटल अध्ययन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा ₹0 3000/- की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा-प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु निःशुल्क तैयारी करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक कुल 10 केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। उक्त केंद्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य सामग्री के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा ₹0 3000/- की दर से प्रदान किया जाता है एवं साथ ही स्मार्ट क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है।

पूर्व से 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य के शेष 27 जिलों में एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन प्रारम्भ किया गया है। उक्त आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, पाठ्यपुस्तक, वस्त्र आदि प्रदान किया जाता है।

सभी विद्यालयों में भवनों को 520 आवासन क्षमता के अनुरूप निर्मित/विस्तारित करने की संकल्पना के तहत अबतक 37 जिलों में 520 आवासन क्षमता वाले 38 आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य के 15 जिलों में विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दरभंगा जिला में 280 आवासन क्षमता वाले निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ, जो शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, के लिए जिला स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित की जा रही है। पूर्व से 24 जिला में निर्मित 27 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के 8 जिलों में कुल 10 छात्रावास एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 7 जिलों में कुल 7 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के तहत प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृतियों के फलस्वरूप अब सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित होंगे।

इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के सभी 38 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

“मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना” पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 से संचालित है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 4162 प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना तथा छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना का संचालन प्रारंभ किया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः ₹0 50000/- (रुपये पचास हजार) तथा ₹0 100000/- (रुपये एक लाख) प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में विभागीय संकल्प संख्या-155, दिनांक-24.01.2024 के द्वारा उक्त योजना को विस्तारित करते हुए इस योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹0 30,000/- से ₹0 1,00,000/- तक

प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक इस योजनान्तर्गत 6170 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना एवं छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना शुरू की गयी है, जिसके अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा क्रमशः रू0 1000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान एवं प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत औसतन लगभग पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये गये कार्यों से संबंधित मुख्य उपलब्धियाँ निम्नरूपेण हैं:-

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों के सृजित कुल 139 पदों के विरुद्ध 130 अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

विभाग अन्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए कुल 903 शैक्षणिक पदों के विरुद्ध 561 पदों पर नियुक्ति की गयी है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

विभाग अन्तर्गत सभी छात्रावासों को गुणवत्तापूर्ण एवं पेशेवर रूप से संचालित किये जाने हेतु कुल-91 छात्रावास प्रबंधक के पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग को प्रेषित है।

वर्तमान में 20 जिलों में कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में 06 जिलों यथा-नवादा, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, सहरसा एवं पूर्णियाँ में कुल 07 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवादा जिला में दो छात्रावास (रजौली एवं बुधौल) का निर्माण किया गया है।

सभी जिलों में 100 आवासन क्षमता वाले एक-एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, पटना में स्थापित जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र में यू0पी0एस0सी0 एवं बी0पी0एस0सी0 की तैयारी हेतु नये बैच की शुरुआत की गयी है।

वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा-NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में एक "व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र" संचालन शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 2276 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके आलोक में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत/वितरित करने की कार्रवाई की जा रही है।

520 आवासन क्षमता वाले कुल 15 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिला में 280 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित नई पहल किए गए हैं:-

विभागीय संकल्प संख्या-1769 दिनांक-21.11.2024 के द्वारा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। 15 जिलों में 520 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दरभंगा जिला में 280 आवासन क्षमता वाले आवासीय विद्यालय भवन निर्मित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवनिर्मित 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु समकालीन गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उक्त आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन तथा आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू० 11,75,000/- की दर से कुल राशि रू० 1,88,00,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन विद्यालयों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवनिर्मित 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु प्रति विद्यालय रू० 31,45,000/- की दर से कुल राशि रू० 3,77,40,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समस्तीपुर, दरभंगा, रोहतास, पूर्णियाँ एवं मुंगेर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में 11वीं कक्षा के छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भाषा कौशल, संवाद कौशल एवं बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित भावी कार्यक्रम निम्नरूपेण हैं:-

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि किया जाना।

प्रमंडल स्तर पर सरकारी/संगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं के छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, CLAT, CUET आदि परीक्षाओं की तैयारी चयनित शिक्षकों के माध्यम से कराया जाना।

नवनिर्मित 520 आवासन क्षमता वाले 11 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण करारकर विद्यालयों का संचालन कराना एवं नवनिर्मित भवन में आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। साथ ही 10 निर्माणाधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उनका संचालन किया जाना।

आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई किया जाना।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर सुदृढ़ होगा।

(हरि सहनी)

मंत्री

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग, बिहार, पटना।

मनोज कुमार, भा.प्र.से.

सचिव

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग

कल्याण विभाग,

बिहार सरकार, पटना



बिहार सरकार



संदेश

राज्य सरकार द्वारा राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास विशेषकर इस वर्ग के छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में दिनांक-01.04.2007 के प्रभाव से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। विभागीय संकल्प संख्या-1697 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या- 1698 दिनांक-02.10.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 से (दिनांक-01.04.2007 से) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान किया गया। इस विभाग द्वारा इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

इस वर्ग के छात्र/छात्राओं को विद्यालय स्तर की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा (कक्षा 10वीं से ऊपर) के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2008-09 से मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गयी हैं। उक्त योजनान्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के पश्चात् एकमुश्त रू0 10,000/- मात्र की वृत्तिका दी जाती है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" प्रारंभ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत अबतक कुल 56,18,656 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत अबतक कुल राशि रू0 875.00 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक कुल 2,03,145 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू0 226.78 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत अबतक क्रमशः 1,09,331 छात्र/छात्राएँ तथा 77,069 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

वर्तमान में राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए कुल 34 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्मित है। वर्तमान में राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 20 जिलों में 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित की जा रही है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में 1-1 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी जिलों में छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

उपर्युक्त छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासन के साथ-साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह रू0 1000/- एवं छात्रावास खाद्यान्न योजनान्तर्गत प्रतिमाह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक बिहार लोक सेवा आयोग (P.T) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5958 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी रू0 50,000/- मात्र की दर से तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (P.T) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 212 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी रू0 1,00,000/- मात्र की दर से लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित अभ्यर्थियों में से बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्रमशः 911 अभ्यर्थी एवं 20 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तथा अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 391 एवं 16 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियाँ एवं किये गये नये पहल निम्नरूपेण है:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कुल स्वीकृत 139 (एक सौ उनचालीस) पदों के विरुद्ध 130 पदाधिकारियों की नियुक्ति के उपरांत प्रशिक्षण की कार्रवाई पूर्ण करते हुए जिला/अनुमंडल में पदस्थापित किया गया है।

विभाग अन्तर्गत सभी छात्रावासों में छात्रावास प्रबंधक के सृजित कुल-91 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है।

सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु सीधी भर्ती से संबंधित 903 शैक्षणिक पदों के विरुद्ध अबतक कुल 561 शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए पदस्थापन किया जा चुका है एवं शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। अबतक 16 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 23 निर्माणाधीन है। सभी नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला एवं स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

विभागीय संकल्प संख्या-1769 दिनांक-21.11.2024 के द्वारा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समस्तीपुर, दरभंगा, रोहतास, पूर्णियाँ एवं मुंगेर में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में 11वीं

कक्षा के छात्राओं को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भाषा कौशल, संवाद कौशल एवं बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना के अन्तर्गत अब सभी 38 जिलों को आच्छादित कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 06 जिलों यथा-नवादा, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, सहरसा एवं पूर्णियाँ में कुल 07 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवादा जिला में दो छात्रावास (रजौली एवं बुधौल) का निर्माण किया गया है। वर्तमान में कुल 2175 आवासन क्षमता के विरुद्ध 2046 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं।

वर्तमान में सभी संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल-4560 छात्र/छात्रा नामांकित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में उक्त केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से क्रमशः 289, 310 तथा 230 अर्थात् कुल-829 छात्र/छात्रा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हुए हैं।

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी दस केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 1200 नामांकन क्षमता के विरुद्ध कुल 1035 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में क्रमशः 62 तथा 81 अर्थात् कुल-143 छात्र/छात्रा मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों से सफल हुए हैं।

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवनिर्मित 520 आवासन वाले 11 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन एवं नव निर्मित भवन में आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 निर्माणाधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उनका संचालन किया जाना एवं आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करना है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इन प्रगतिशील योजनाओं के कार्यान्वयन से बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास की गति तीव्र होगी एवं इस वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा एवं समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

(मनोज कुमार)

सचिव।

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट

(राशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2025-26		स्वीकृत योजना उद्घ्यय		
राज्य स्कीम		176528.00		
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश)		13172.00		
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)		300.00		
कुल योग :-		190000.00		
क्र० सं०	मद का नाम	बजट		
		2024-25	वर्ष 2024-25 (पुनरीक्षित)	वर्ष 2025-26 (प्रस्तावित राशि)
1	2	3	4	5
राज्य स्कीम				
1	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	10400.00	10400.00	10400.00
2	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत)	19900.00	19900.00	19900.00
3	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)	56768.00	56768.00	57764.00
4	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)			
5	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	25000.00	25000.00	23500.00
6	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	2000.00	2000.00	2000.00
7	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना	936.00	936.00	840.00
8	प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मोनेटरिंग/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना/कौशल विकास योजना/ मशीन एवं उपस्कर	2500.00	2500.00	3700.00
9	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना।	12700.00	16218.00	14500.00
10	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना।	10700.00	16217.70	13149.80
11	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि		489.60	349.20
12	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना।	500.00	500.00	25.00
13	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार	30000.00	58700.00	30000.00
14	आवासीय विद्यालय छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	200.00	398.10	200.00
15	आवासीय विद्यालयों/छात्रावास भवनों में पेयजल आपूर्ति अधिष्ठापन	0.00	0.00	100.00
16	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0.00	1045.00	100.00
योग:- (राज्य स्कीम)		171604.00	211072.40	176528.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश)				
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	11999.99	11999.99	12000.00
2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	0.01	0.01	1.00
3	छात्रावास निर्माण (60.40/90:10)	1170.00	1170.00	1170.00
4	डा० अम्बेदकर प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (60:40)	15.00	15.00	1.00
योग:- (केन्द्रांश)		13185.00	13185.00	13172.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)				
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	0.00	0.00	0.01
2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (60:40)	2489.00	2489.00	0.01
3	छात्रावास निर्माण (60:40/90:10)	570.00	570.00	299.98
4	डा० अम्बेदकर प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अनधिसूचित घूमन्तू अर्द्धघूमन्तू जनजाति के विकास के लिए) (60:40)	5.00	5.00	0.00
योग:- (राज्यांश)		3064.00	3064.00	300.00
कुल योग :-		187853.00	227321.40	190000.00

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	मद का नाम	2024-25	वर्ष 2024-25 (पुनरीक्षित)	वर्ष 2025-26 (प्रस्तावित राशि)
1	मुख्यालय स्थापना	659.82	719.42	772.31
2	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	25.00	25.00	25.00
3	छात्रावासों का संधारण	1095.01	1533.70	1912.68
4	+2 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का संधारण	5941.56	6758.65	9512.92
5	निदेशालय स्थापना	140.79	140.79	146.83
6	क्षेत्रीय स्थापना	3214.43	3312.66	6728.47
7	विभागीय मुख्यालय का आधुनिकीकरण रख-रखाव एवं मरम्मत		177.53	10.00
	योग-	11076.61	12667.75	19108.21
	कुल योग (स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	198929.61	239989.15	209108.21

राज्य स्कीम के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण, परिसर विकास, चहारदीवारी, जीर्णोद्धार मद में प्रस्तावित राशि ₹30000.00 लाख (रु० तीन सौ करोड़) मात्र तथा आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि भवनों का अनुसंधान एवं मरम्मती मद में प्रस्तावित राशि रु० 200.00 लाख (रु० दो करोड़) मात्र का बजट प्रावधान भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित राशि रु० 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र का बजट प्रावधान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मांग संख्या-36 के अंतर्गत प्रस्तावित है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागीय मुख्यालय का आधुनिकीकरण, रख-रखाव एवं मरम्मत मद में प्रस्तावित राशि रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) मात्र का बजट प्रावधान भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वर्ष 2024-25 की उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य

परिचय :-

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या-1697, दिनांक-02.10.2021 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1698, दिनांक-02.10.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत निदेशालय के गठन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के 26 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

विभाग के विषय :-

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-मं0मं0-01/आर0-02/2007-602 दिनांक- 20.03.2007 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विषयों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है :-

1. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृत्तिका प्रदान करना।
2. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान।
3. अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना।
4. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका प्रबंधन करना।
5. अति पिछड़ा वर्ग के लिए सहकारी समितियों का गठन।
6. अति पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।
7. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृत्तिका प्रदान करना।
8. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान।
9. पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना।
10. पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना एवं उनका प्रबंधन करना।
11. पिछड़ा वर्ग के लिए सहकारी समितियों का गठन।
12. पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।
13. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष गृह-निर्माण योजनाएँ।
14. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

मुख्य योजनाएँ:-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए (1) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, (2) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023, (3) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (4) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, (5) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, (6) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, (7) जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, (8) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना, (9) मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, (10) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना (11) छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, (12) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, (13) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, (14) मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना आदि योजनाएँ संचालित हैं।



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, सहरसा

योजनाओं का विस्तृत विवरणी एवं उपलब्धियाँ :-

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत विवरणी इस प्रकार है:-

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :-

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक(विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग- 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा- 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान निम्नांकित दर पर एकमुश्त किए जाने का प्रावधान है:-

क्र० सं०	वर्ग	छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
1	कक्षा-I से IV	रु 600/-
2	कक्षा-V से VI	रु 1200/-
3	कक्षा-VII से X	रु 1800/-
4	कक्षा I से X तक (छात्रावासी)	रु 3000/-

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 71,72,033 छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि ₹0 8,09,77,06,800/- वितरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 56,18,656 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।


अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विगत वर्षों में स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वितों की विवरणी:-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (₹ लाख में)			लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
		राज्य योजना	केन्द्र प्रायोजित (50:50) योजना	योग	
1	2006-07	1622.00	200.00	1822.00	3,16,594
2	2020-21	106595.00	2390.00	108985.00	1,00,98,515
3	2021-22*	188773.17	1669.00	190442.17	98,43,517
4	2022-23	101400.00	6331.00	107731.00	71,72,033
5	2023-2024	92700.00	00	92700.00	56,18,656**
6	2024-2025	87500.00	00	87500.00	-

* वर्ष 2020-21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के तहत प्रारंभ की गयी "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबतक ₹ 87500.00 लाख की स्वीकृति दी गयी है तथा इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹ 88064.00 लाख उद्ब्यय का प्रावधान किया गया है।





कक्षा-09 में अध्ययनरत छात्राएँ

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023:-

इस योजना के तहत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा / डिग्री स्तर का मेडिकल / इंजीनियरिंग / प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र / छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या-1385, दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्रा, जिनका स्वयं की आय सहित माता-पिता / अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3,00,000 / - (₹ 3 लाख) मात्र रुपए से अधिक नहीं हो, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।


विगत वर्षों में स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वितों की विवरणी:-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (₹ लाख में)			लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
		राज्य योजना	केन्द्र प्रायोजित (100%) योजना	योग	
1	2009-10	1000.00	1522.00	2522.00	75,483
2	2020-21	20265.00	5699.00	25964.00	3,05,614
3	2021-22*	40265.00	6891.00	47156.00	5,02,507
4	2022-23	20038.75	9171.00**	29209.75	2,72,130
5	2023-24	25205.00	—	25205.00	2,05,774
6	2024-25	22678.00	—	22678.00	

* वर्ष 2020-21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं पूर्व के वर्षों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 हेतु ₹ 23500.00 लाख उद्ध्यय का प्रावधान किया गया है।





माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक

3. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :-

राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹10,000/- (रुपए दस हजार) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

इस योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षों में व्यवहृत राशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या निम्नवत है :-


वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (राशि लाख ₹ में)	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
2008-09	1067.00	10,670
2020-21	13845.00	1,06,143
2021-22	26569.60*	1,01,503**
2022-23	11334.00	1,04,374
2023-24	13271.60	1,04,986
2024-25	16218.00	1,09,331***

* वित्तीय वर्ष 2020-21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि से लाभान्वितों की संख्या।

*** वित्तीय वर्ष 2024-25 में वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत ₹14500.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।



4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :-

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले एवं बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र ₹10,000/- मात्र एकमुश्त

वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है।

इस योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि एवं लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्नवत है:-


वर्ष	स्वीकृत/आवंटित राशि (राशि लाख ₹0 में)	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2015-16	6747.90	59,342
2020-21	8455.00	75,553*
2021-22	19130.40*	75,086**
2022-23	9585.70	81,598
2023-24	9987.10	75,487
2024-25	16217.70	77,069***

* वित्तीय वर्ष 2020-21 में वंचित छात्र/छात्राओं के लिए स्वीकृत राशि सम्मिलित है।

** वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि से लाभान्वितों की संख्या।

*** वित्तीय वर्ष 2024-25 में वितरण प्रक्रिया जारी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत ₹13149.80 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।



5. परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसके निमित्त विभिन्न वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित राशि जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना को आवंटित की गई है:-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (₹ लाख में)
1	2006-07	5.50
2	2007-08	10.00
3	2008-09	10.00
4	2009-10	20.00

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्रति वित्तीय वर्ष ₹ 25.00 लाख राशि का बजटीय प्रावधान करते हुए राशि आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजनान्तर्गत ₹ 25.00 लाख उद्व्यय प्रावधान किया गया है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए पूर्व से 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित थी, जिनमें वर्ग-6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में 520 आवासन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के आलोक में पूर्व से 11 जिलों में संचालित कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 से शेष 27 जिलों में भी 1-1 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन शुरू किया गया है। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का स्वीकृत छात्रबल प्रति विद्यालय 520 है। वर्तमान में कुल 5770 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। अबतक 37 जिलों में 520 आवासन वाले कुल-38 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। 15 आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। दरभंगा जिला में 280 आवासन वाले आवासीय विद्यालय भवन निर्मित है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, पाठ्यपुस्तक, वस्त्र आदि प्रदान किया जाता है।

सभी नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशाला के अधिष्ठापन तथा स्मार्ट क्लास की स्वीकृति दी गयी है।

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों की सूची

क्र० सं०	विद्यालय का नाम एवं स्थान
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मोकर, रोहतास (सासाराम)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ (बच्चा जेल के नजदीक बैधनाथ छात्रावास के कैम्पस में)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कल्याणपुर, समस्तीपुर
4	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मुंगेर
5	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मोकामा, शिवनार पेट्रोल पम्प के पास पटना
6	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सिवान (दरभंगा में संचालित)

7	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर, बिहार विश्वविद्यालय कैम्पस, मुजफ्फरपुर
8	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पार्क रोड, कदमकुँआ, पटना।
9	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, गोपालगंज (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, अरना, गोपालगंज में संचालित)
10	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, विनोवानगर, गया
11	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, औरंगाबाद (एस0सी0 वि0 नवादा में संचालित)
12	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, किशनगंज (पूर्णिमा में संचालित)
13	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाढ़ पोखर, दरभंगा
14	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कल्याण छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर, छपरा
15	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, मधुबनी (दरभंगा में संचालित)
16	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सहरसा (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, सहरसा में संचालित)
17	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, लखीसराय (एकलव्य मोडल वि0, जमुई में संचालित)
18	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अरवल (रोहतास में संचालित)
19	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सुपौल (एस0सी0 वि0 त्रिवेणीगंज, सुपौल में संचालित)
20	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, नवादा (एस0सी0 वि0 नवादा में संचालित)
21	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, शिवहर (एस0टी0 वि0, धमौरा, प0चम्पारण में संचालित)
22	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, शेखपुरा (अभ्यास मध्य वि0, शेखपुरा में संचालित)
23	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बाँका (एस0सी0 वि0 बाँका में संचालित)
24	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, खिरनी घाट, खंजरपुर, भागलपुर
25	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, वैशाली (समस्तीपुर में संचालित)
26	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, खगड़िया (एस0सी0 वि0 मुरलीगंज, मधेपुरा में संचालित)
27	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, अररिया (पूर्णिमा में संचालित)
28	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, कटिहार (पूर्णिमा में संचालित)

29	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बक्सर (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, बक्सर में संचालित)
30	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, कैमूर (रोहतास में संचालित)
31	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, नालंदा (एस0सी0 वि0 राजगीर नालंदा में संचालित)
32	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भोजपुर (रोहतास में संचालित)
33	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मधेपुरा (एस0सी0 वि0 मुरलीगंज, मधेपुरा में संचालित)
34	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, जहानाबाद (एस0सी0 वि0 काको, जहानाबाद में संचालित)
35	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पूर्वी चम्पारण (एस0टी0 वि0, बगहा, प0चम्पारण में संचालित)
36	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, पश्चिमी चम्पारण (एस0टी0 वि0, बगहा, प0चम्पारण में संचालित)
37	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, सीतामढ़ी (एस0टी0 वि0, धमौरा, प0चम्पारण में संचालित)
38	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, बेगूसराय (समस्तीपुर में संचालित)
39	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय, जमुई (एकलव्य मोडल वि0, आस्ता जमुई में संचालित)



माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का उद्घाटन

सभी विद्यालयों में भवनों को 520 आवासन के अनुरूप निर्मित / विस्तारित करने की संकल्पना के तहत 4 जिलों यथा—रोहतास, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं सारण में विद्यालय हेतु ₹25.64 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹102.56 करोड़ की राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधारभूत संरचना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं रोहतास में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-44, दिनांक-25.08.2021 के द्वारा राज्य के 03 जिलों यथा—गया, भागलपुर एवं सहरसा में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आवासन) के अनुरूप निर्माण हेतु ₹37.8949 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹113.6847 करोड़ (रु० एक सौ तेरह करोड़ अड़सठ लाख सैतालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-66, दिनांक-29.12.2021 के द्वारा राज्य के 09 जिलों में 10 यथा—पटना (बिहटा एवं अथमलगोला), मुंगेर, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, जमुई, किशनगंज, औरंगाबाद, बाँका एवं नालंदा जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आवासन) के अनुरूप निर्माण हेतु ₹37.89 करोड़ मात्र की दर से कुल ₹378.90 करोड़ (रु० तीन सौ अठहत्तर करोड़ नब्बे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 12 जिलों यथा—कैमूर, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आवासन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के अनुसार प्रति विद्यालय रु० 46,35,28,000/- (छियालीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार) मात्र की दर से कुल लागत रु० 5,56,23,36,000/- (पाँच सौ छप्पन करोड़ तेईस लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 09 जिलों यथा—अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में 520 आवासन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार 37 जिलों में 520 आवासन वाले कुल 38 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। दरभंगा जिला में 280 आवासन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय भवन निर्मित है। अबतक 520 आवासन वाले कुल-15 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-24 दिनांक-19.03.2021 के आलोक में सभी आवासीय कन्या उच्च विद्यालयों में छात्राओं को भोजन, पठन-पाठन सामग्री, पुस्तकालय तथा तेल-साबुन इत्यादि के लिए निम्न दर पर सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं:-

मद	वर्तमान दर (₹ में)
भोजन	1610 /- प्रतिमाह प्रति छात्रा
विशेष भोजन	150 /- वर्ष में चार-बार प्रति छात्रा
वस्त्र	2630 /- वार्षिक प्रति छात्रा
व्यवसायिक	890 /- प्रति वर्ष प्रति छात्रा
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	890 /- प्रति वर्ष प्रति छात्रा
तेल, सोडा, साबुन	130 /- प्रति छात्रा प्रतिमाह
पठन-पाठन सामग्री	1540 /- प्रति छात्रा प्रति वर्ष
सफाई मद	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी के दर पर
दवा	150 /- प्रति छात्रा प्रति माह-10 माह के लिए
परिवहन	960 /- प्रतिमाह प्रति संस्थान (280 आवासन के लिए)
किरासन तेल	डीजल-4.5 लीटर प्रतिघंटा।
दैनिक समाचार, पत्र पत्रिका	6500 /-रु0 प्रति वार्षिक प्रति संस्थान
खेल-कूद	14280 /- रु0 वार्षिक
पुस्तकालय	10780 /- रु0 वार्षिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी इत्यादि	21410 /- वार्षिक
सुरक्षा गार्ड	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी के दर पर प्रति विद्यालय 3 गार्ड (8 घंटे प्रति गार्ड) 1 वर्ष के लिए

विभागीय संकल्प संख्या-1769 दिनांक-21.11.2024 के द्वारा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में बेहतर एवं सुदृढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्न दर पर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है :-

क्र० सं०	शीर्ष	दर प्रति विद्यार्थी	
1	भोजन	99 रु0 प्रतिदिन	
2	साफ-सफाई	11 रु0 प्रतिदिन	
3	पोशाक की आपूर्ति	कक्षा (6 से 8) (2 सेट के लिए)	कक्षा (9 से 12) (2 सेट के लिए)
		1150 रु0 प्रति छात्रा	1400 रु0 प्रति छात्रा
4	पोशाक की धुलाई	लाउण्ड्री के लिए रुपये 30 /- (रुपये तीस) मात्र प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया-गिलाफ सहित) अधिकतम अनुमान्य होगा।	

प्रत्येक बालिका को चार सेट पोशाक देय है।

पोशाक के क्रय हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-24 दिनांक- 19.03.2021 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा, वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर रू0 7500 /- (सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति छात्रा प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष अंतर राशि निम्न प्रकार से छात्राओं को डी0बी0टी0 किया जायेगा:-

क्र० सं०	मद	कक्षा (6 से 8)		कक्षा (9 से 12)	
		पोशाक की राशि (4 सेट)	डी0बी0टी0 की राशि	पोशाक की राशि (4सेट)	डी0बी0टी0 की राशि
1.	बालिका	रू0 2300 /- प्रति छात्रा	रू0 5200 /- प्रति छात्रा	रू0 2800 /- प्रति छात्रा	रू0 4700 /- प्रति छात्रा

तदनुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-24 दिनांक- 19.03.2021 के द्वारा निर्धारित भोजन (जलपान सहित) आदि की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा के कार्य से संबंधित दर को इस हद तक संशोधित किया गया है।



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, समस्तीपुर के विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशिक्षणरत छात्राएँ

7. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना:-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आवासन वाले "जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना" के अंतर्गत छात्रावास निर्माण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। इन छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय-सह-डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

राज्य के सभी जिलों में 100 आवासन क्षमता वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों की सूची

क्र०सं०	जिला का नाम	छात्रावास का पता	संचालन की स्थिति
1	2	3	4
1	नालंदा	राणाविगहा (सिपाह मोड़) दीपनगर थाना के पीछे, बिहारशरीफ, नालंदा	संचालित
2	मधुबनी	S.B.I. मेन ब्रान्च के बगल में, मधुबनी	संचालित
3	शेखपुरा	मखदुमपुर अभ्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा के निकट, शेखपुरा	संचालित
4	कटिहार	सूर तुलसी कॉलेज, कटिहार	संचालित
5	भागलपुर	टी०एन०बी० कॉलेज के दक्षिण छोर	संचालित
6	गया	कपिलधारा, माड़नपुर, गया	संचालित
7	किशनगंज	फुलबाड़ी, मारवाड़ी कॉलेज के पीछे, किशनगंज	संचालित
8	जहानाबाद	गाँधी स्मारक इण्टर स्तरीय विद्यालय के कैम्पस में, मलहचक, एरोड्राम रोड, जहानाबाद	संचालित
9	सुपौल	एस०डी०एस०के०बी० +2 उच्च विद्यालय, हरदी, सुपौल	संचालित
10	जमुई	इन्दपै, जमुई	संचालित
11	बेगूसराय	श्री श्री 108 एम०आर०जे० डी० इन्टर कॉलेज, बेगूसराय	संचालित
12	मुंगेर	हाजी सुजान, मुंगेर	संचालित
13	पूर्णिया	बी०बी० एम० उच्च विद्यालय भट्टा बाजार, पूर्णियाँ	संचालित
14	मधेपुरा	मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा	संचालित
15	बक्सर	कला भवन बक्सर के सामने	संचालित
16	बाँका	लक्ष्मीपुर, बाँका	संचालित
17	कैमूर	सुअरा नदी के पश्चिम तट पर, भभुआ।	संचालित
18	अररिया	अररिया आर०एस०, अररिया	संचालित
19	सीतामढ़ी	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी के बगल में।	संचालित
20	सहरसा	पटुआहा, सहरसा	संचालित
21	छपरा	विष्णुपुरा, छपरा	संचालित
22	अरवल	चिड़ियाँटाड़, अरवल	संचालित
23	पू० चम्पारण	लुअठाहाँ, पू० चम्पारण	संचालित
24	औरंगाबाद	कर्मा भगवान, औरंगाबाद	संचालित
25	पश्चिम चम्पारण	रामलखन सिंह यादव कॉलेज, बेतिया के कैम्पस में।	संचालित
26	गोपालगंज	सरैया, गोपालगंज	संचालित
27	मुजफ्फरपुर	सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर	संचालित
28	रोहतास	महिला कॉलेज, रोहतास	संचालित
29	भोजपुर	एस०एस० कॉलेज, भोजपुर	संचालित
30	पटना	लोहानीपुर, पटना	संचालित
31	नवादा	बुधौल, बस स्टैंड के बगल में	संचालित
32	वैशाली	अक्षयवट महाविद्यालय, महुआ प्रखंड, महुआ वैशाली	संचालित
33	समस्तीपुर	सुंदर उच्च विद्यालय के निकट, समस्तीपुर (मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के पास)	संचालित
34	दरभंगा	सुन्दरपुर वेला, दरभंगा सदर	संचालित
35	लखीसराय	खगौर, लखीसराय	संचालित
36	शिवहर	श्री नबाब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवहर के प्रांगण में।	संचालित
37	सीवान	जसौली, प्रखंड पंचरुखी, सीवान	संचालन प्रक्रियाधीन
38	खगड़िया	NH -31 पंचायत रहीमपुर उत्तरी खगड़िया प्रखण्ड (दुर्गापुर ढाला के पास)	संचालन प्रक्रियाधीन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत पटना जिलान्तर्गत निर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन में जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि के पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है। यह एक राज्य स्तरीय केन्द्र है। जहाँ ऑफलाईन कक्षा के साथ-साथ पूरे राज्य में अवस्थित छात्रावासों/आवासीय विद्यालय/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में ऑनलाईन कक्षा के प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है।



जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, खगड़िया

8. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास:-

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय-सह-डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में 20 जिलों में कुल 23 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित है।

पूर्व से 24 जिलों में निर्मित 27 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के 8 जिलों में 100 आवासन क्षमता वाले कुल 10 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 जिलों में एक-एक 100 आवासन क्षमता वाले अर्थात् कुल 7 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य राज्य योजना से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार इस योजना से राज्य के सभी जिलों को आच्छादित कर दिया गया है। सहरसा, नवादा (बुधौल एवं रजौली), बक्सर, पूर्णियाँ, नालंदा एवं गोपालगंज में छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की सूची

क्र० सं०	जिला का नाम	पता
1	शेखपुरा	1. आर.डी.कॉलेज परिसर, शेखपुरा
2	कटिहार	2. के०बी०झा० कॉलेज
		3. डी०एस० कॉलेज
3	भागलपुर	4. टी०एन०बी० कॉलेज
		5. बालिका कल्याण छात्रावास विश्वविद्यालय परिसर
4	किशनगंज	6. +2 उच्च विद्यालय के पीछे, डे-मार्केट, किशनगंज
5	जहानाबाद	7. एस.एस.कॉलेज, धनगावाँ, जहानाबाद
6	सुपौल	8. बी.एस.एस.कॉलेज परिसर, किशनपुर रोड, सुपौल
7	जमुई	9. के.के.एम.कॉलेज कैंपस, जमुई
8	बाँका	10. आर०एम०के० इन्टर स्तरीय उच्च विद्यालय के परिसर में, बाबूटोला, बाँका
9	पूर्वी चम्पारण	11. एम०एस० कॉलेज परिसर, अम्बिका नगर, मोतिहारी, पू० चंपारण
10	रोहतास	12. मोकर, रोहतास
11	पटना	13. अब्दुल कयूम अंसारी छात्रावास, एन०आई०टी० मोड़, रानीघाट, पटना
12	वैशाली	14. देवचंद महाविद्यालय परिसर, महुआ रोड, वैशाली
13	मधेपुरा	15. शिवनंदन प्रसाद मंडल उच्च विद्यालय, मधेपुरा के परिसर में, वार्ड नं०-20 नगर परिषद, मधेपुरा
14	खगड़िया	16. कोशी कॉलेज के परिसर में, खगड़िया
15	दरभंगा	17. बी०एम०सी० छात्रावास।
		18. राज उच्च विद्यालय परिसर।
16	समस्तीपुर	19. यू० आर० कॉलेज, रोसड़ा
17	कैमूर	20. महाराणा प्रताप कॉलेज के परिसर में मोहनिया, कैमूर
18	मुंगेर	21. आर०डी०एण्ड डी०जे० कॉलेज परिसर, मुंगेर
19	बेगूसराय	22. बी०पी०इंटर कॉलेज परिसर, काली स्थान के पास बेगूसराय
20	भोजपुर	23. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर, जीरो माईल, आरा



अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, बक्सर

9. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-**

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आर्थिक कठिनाईयों के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग/पर्याप्त मार्गदर्शन एवं उपयोगी पुस्तक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50,000/- (रूपये पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (रूपये एक लाख) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में विभागीय संकल्प संख्या-155, दिनांक-24.01.2024 के द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को विस्तारित करते हुए इस योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा अयोग नई दिल्ली, केन्द्रीय चयन आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आई0बी0पी0एस0, विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

“मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के तहत वर्तमान में सम्मिलित बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के अतिरिक्त निम्नांकित प्रतियोगिता परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण दी गयी है :-

प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान का नाम	प्रोत्साहन राशि (राशि रू० में)
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से अतिरिक्त आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा यथा— (a) भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service), (b) भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service), (c) भारतीय सांख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service) (d) संयुक्त भू-वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist) इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	75,000 /—
संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (Dy.S.P.), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (central armed police Force), इत्यादि	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000 /—
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000 /—
बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	50,000 /—
अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग	50,000 /—
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ग्रेड-बी की प्रारंभिक परीक्षा / भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा / भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection -IBPS) / भारतीय जीवन बीमा निगम	30,000 /—
संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली	30,000 /—
विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड	30,000 /—

अब तक मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 6170 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष	बी0पी0एस0सी0 (PT) परीक्षा उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या	यू0पी0एस0सी0 (PT) परीक्षा उत्तीर्ण लाभुकों की संख्या	कुल
2018-19	618	59	677
2019-20	2418	19	2437
2020-21	383	11	394
2021-22	882	24	906
2022-23	1217	30	1247
2023-24	206	48	254
	234	0	234
2024-25	0	21	21
योग	5958	212	6170

अबतक लाभान्वित अभ्यर्थियों में से बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्रमशः 911 अभ्यर्थी एवं 20 अभ्यर्थी सफल हुए हैं तथा अंतिम रूप से उक्त दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 391 एवं 16 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹2000.00 लाख का उद्व्यय प्राप्त है।



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में विज्ञान दिवस का आयोजन

10. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना:-

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय-सह-डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत औसतन पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹840.00 लाख उद्व्यय का प्रावधान किया गया है।

11. छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना:-

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, जेनरेटर, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर, खेलकूद सामग्री खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया, पुस्तकालय-सह-डिजिटल अध्ययन केन्द्र इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देय सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता को देखते हुए इस नई योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत औसतन पाँच हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

12. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :-

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य स्कीम मद में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के आठ जिलों यथा- (1) पटना, (2) गया, (3) मुजफ्फरपुर, (4) भागलपुर, (5) दरभंगा, (6) छपरा (7) आरा एवं (8) मधुपुरा में स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के अन्य सात जिलों यथा- (1) पूर्णियाँ (2) सहरसा (3) मुंगेर (4) मधुबनी, (5) वैशाली (हाजीपुर) (6) पूर्वी चम्पारण एवं (7) पश्चिमी चम्पारण में एक-एक नए प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 23 अन्य जिलों में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना से सभी जिलों को आच्छादित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या-2735 दिनांक-13.12.2022 के द्वारा योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत छात्र/छात्रा (अभिभावक सहित सभी स्त्रोतों को मिलाकर) की वर्तमान वार्षिक आय

अधिसीमा रूपया 1,00,000/- (एक लाख रूपये) मात्र को बढ़ाकर रूपया 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) मात्र किये जाने तथा अरवल एवं शिवहर में स्वीकृत प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र को पटना एवं नालंदा में पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्थान में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में डिजिटल अध्ययन की व्यवस्था एवं सामग्रियों के क्रय हेतु अनावर्ती व्यय के रूप में अनुमानित कुल राशि रू० 95.00 लाख (रू० पंचानवे लाख) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभागीय संकल्प संख्या- 2443 दिनांक-10.11.2023 द्वारा राज्य स्कीम के तहत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य पुस्तक के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि रू० 3,000/- की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में सभी संचालित 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल-4560 छात्र/छात्रा नामांकित है। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में उक्त केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से क्रमशः 289, 310 तथा 230 अर्थात कुल-829 छात्र/छात्रा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हुए हैं।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अब तक प्रशिक्षणार्थियों की संख्या


वर्ष	संचालित केन्द्रों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		
		पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कुल
2016	7	137	166	303
2017	15	631	863	1,494
2018	15	619	753	1,372
2019	26	1,318	1,470	2,788
2020	26	1,345	1,436	2,781
2021	34	1,589	1,834	3,423
2022	36	1,514	2,226	3,740
2023	37	1,536	2,270	3,806
2024	38	1,585	2,975	4,560
2025	38	1,825	2,735	4,560
कुल		12,099	16,728	28,827



प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्रमांक	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	केन्द्र का पता
1	पटना	मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान, कृष्णा कुंज, कृष्णा घाट, पटना विश्वविद्यालय, पटना- 800005
2	मुजफ्फरपुर	स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, डॉ० बी०आर०अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर-842001
3	गया	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया- 824 234
4	छपरा	राम जयपाल कॉलेज, छपरा- 841301
5	दरभंगा	बंगला संख्या-11, रेडियो स्टेशन रोड, आयकर चौक के निकट, दरभंगा - 846004
6	भागलपुर	एन०आर०सेन्टर, ओल्ड पी०जी० कैम्पस, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर - 812007
7	आरा (भोजपुर)	स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा - 802301
8	मधेपुरा	पुरानी स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा - 852113
9	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ कॉलेज, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय परिसर, पूर्णियाँ 854301
10	सहरसा	एम०एल०टी० कॉलेज, सहरसा - 852201
11	मुंगेर	आर०डी० एण्ड डी०जे० कॉलेज, मुंगेर - 811201
12	मधुबनी	रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी - 847229
13	हाजीपुर(वैशाली)	जमुनी लाल कॉलेज, हाजीपुर (वैशाली)-844101
14	मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)	मुंशी सिंह कॉलेज,पोस्ट चाँदमारी, मोतिहारी (पू०चम्पारण) 845401
15	बेतिया (प०चम्पारण)	एम०जे०के० कॉलेज, बेतिया (प०चम्पारण) - 845438
16	सासाराम (रोहतास)	एस०पी०जैन कॉलेज, सासाराम (रोहतास) - 821115
17	भभुआ (कैमूर)	एस०भी०पी०कॉलेज, भभुआ (कैमूर) 821101
18	बक्सर	एम०भी० कॉलेज, बक्सर-802101
19	किशनगंज	मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज - 855107
20	अररिया	अररिया कॉलेज, अररिया - 854311
21	लखीसराय	के०एस०एस० कॉलेज, लखीसराय - 811311
22	नालंदा (बिहारशरीफ)	नालंदा कॉलेज, नालंदा (बिहारशरीफ)-803101
23	सीतामढ़ी	श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी-843302

24	सुपौल	भारत सेवक समाज कॉलेज, सुपौल – 852131
25	सिवान	जे०आर०एस० महाविद्यालय, विदुरुद्धीन हाता, सिवान-841226
26	शेखपुरा	रामधीन महाविद्यालय, शेखपुरा-811105
27	गोपालगंज	वी०एम० इंटर कॉलेज, गोपालगंज- 841427
28	जमुई	एस०ए० एकलव्य कॉलेज, जमुई –811307
29	समस्तीपुर	बी०आर०बी० कॉलेज, समस्तीपुर –848101
30	बांका	पी०बी०एस० कॉलेज, बांका –813102
31	बेगूसराय	गणेश दत्त कॉलेज, बेगूसराय – 851101
32	नवादा	के० एल० एस० कॉलेज, नवादा – 805110
33	खगड़िया	कोशी कॉलेज कॉलेज, खगड़िया – 851205
34	औरंगाबाद	एस० एन० सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद – 824101
35	जहानाबाद	एस० एस० कॉलेज, जहानाबाद – 804408
36	कटिहार	डी०एस० कॉलेज, कटिहार-854105
37	पटना-2	ए०एन० कॉलेज, पटना –800013
38	नालंदा-2	गवर्मेट डिग्री कॉलेज राजगीर-803116



प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कैमूर

13. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना:-

“मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना” पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में कुल 81 प्रशिक्षण केन्द्रों में 4162 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा ऐनालिटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी, एयर होस्टेस, फ्लाइंट अटेंडेंट एवं ग्राउण्ड स्टाफ आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी चालू वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।



जैविक विज्ञान केन्द्र, रोहतास (सासाराम)

14. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा- कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा- क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की

निःशुल्क तैयारी कराने हेतु "मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना" संचालित करने, योजना हेतु दिशा-निर्देश, पदों के सृजन एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/- (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु एक "व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र"के संचालन, दिशा-निर्देश एवं केन्द्र संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 24,54,700/- (रू0 चौबीस लाख चौवन हजार सात सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त केन्द्र के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएँ यथा - NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं मधेपुरा में अवस्थित विश्वविद्यालयों में एक-एक केन्द्र तथा पटना में अवस्थित विश्वविद्यालयों में दो केन्द्र अर्थात् कुल सात व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र के संचालन, दिशा-निर्देश एवं केन्द्र के संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 1,71,82,900/- (एक करोड़ इकहत्तर लाख बयासी हजार नौ सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त केन्द्र के संचालन की अवधि को विस्तारित करते हुए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस प्रकार मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत कुल 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में कुल 1200 नामांकन क्षमता के विरुद्ध कुल 1035 छात्र/छात्राएं नामांकित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में क्रमशः 62 तथा 81 अर्थात् कुल-143 छात्र/छात्रा मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्रों से सफल हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण योजना/कौशल विकास/ मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना/छात्रवृत्ति मोनेटरिंग/पुस्तकालय-सह-उत्प्रेरण मद के अंतर्गत कार्यालय व्यय मद में रू0 15.00 करोड़ तथा संविदा सेवाएँ मद में रू0 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

DETAILS OF CAREER GUIDANCE CENTRE

Financial Year : 2024-25

SL NO	CAREER GUIDANCE CENTRE	VENUE
1	2	3
1	Patna University, Patna	Dept. of PMIR, Darbhanga House , Patna University, Patna - 800005
2	Patliputra University, Patna	Kautilya Bhawan, College of Commerce ,Arts & Science, Patna - 800020
3	Dr. BR Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	PG Dept. of Hindi, Dr. BRA Bihar University, Muzaffarpur - 840001
4	Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur	PG Dept. of Psychology, TM Bhagalpur University, Bhagalpur - 812007
5	Lalit Narayan Mishra University, Darbhanga	Dept. of History, CM College, Darbhanga - 846004
6	BN Mandal University, Madhepura	Old PG Dept. of Hindi, BN Mandal University, Madhepura- 852113
7	Magadh University, Bodh Gaya	
8	Chandragupta Institute of Management, Patna	Chandragupta Institute of Management, Mithapur Industrial Area, Patna - 800001
9	Chanakya National Law University, Patna	Chanakya National Law University, Naya Nagar, Mithapur, Patna - 800001
10	Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development & Social Change, Patna	Lalit Narayan Mishra Institute of Economic Development & Social Change, I, Jawahar Lal Nehru Marg, Patna - 800001

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन इकाई है, जिसकी स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन वर्ष 1993 (17.06.1993) में की गई है। इस निगम का मूल उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्थान किया जाना है। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार का चैनेलाईजिंग एजेन्सी है।

निगम के मूल उद्देश्य :-

- (1) पिछड़े वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए आर्थिक विकास की योजना लेना।
- (2) आर्थिक विकास की योजनाओं हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मापदंडों के आधार पर पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को तकनीकी तथा वित्तीय योजनाओं हेतु ऋण मुहैया किया जाना।
- (3) पिछड़े वर्ग के सदस्यों के तकनीकी/प्रोफेशनल शिक्षा के लिए ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना तथा समय-समय पर ट्रेनिंग आदि देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।

वर्तमान में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा विभागीय योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-146 दिनांक-22.01.2024 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल 07 नए पदों - (i) महाप्रबंधक, उद्यम एवं कौशल विकास (ii) उप महाप्रबंधक, वित्त एवं योजना प्रबंधक (iii) उप महाप्रबंधक, उद्यम विकास एवं कौशल विकास (iv) प्रबंधक, वित्त (v) प्रबंधक, उत्पादकता एवं वित्त पोषण (vi) प्रबंधक, वसूली एवं नियंत्रण (vii) प्रबंधक, कौशल विकास का सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के माध्यम से संचालित की जा रही विभागीय योजनाएँ :-

1. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :-पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। योजना के तहत राज्य में सभी स्वीकृत 38 केन्द्र संचालित है। योजनान्तर्गत अबतक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अबतक कुल 24,267 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

2. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना:- “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना” पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बेरोजगारी दूर करने एवं जीवन स्तर ऊपर

उठाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 से संचालित है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में कुल 81 प्रशिक्षण केन्द्रों में 4162 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

3. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना :- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा-प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की तैयारी निःशुल्क करायी जाती है। योजनान्तर्गत अबतक 10 केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में सभी 10 केन्द्र संचालित है।



बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग



बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, दरभंगा में बाल संसद (2024-25)



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पूर्णिया के छात्राओं द्वारा नालंदा स्थित श्वेन् त्साङ् स्मृति भवन (Xuan Zang Memorial Hall) का परिभ्रमण कार्यक्रम



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, जहानाबाद



अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, भागलपुर